

10/9
2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई007020/भा00
 आदेश नंबर के आवक में जाय की गई। जिसमें खानाबदोश ग्राम समूह की जमावन्दी सन्वत् 2015-78 के
 खाता नं 321 में खातेदार का नाम बलदेव सिं अर्जुन दर्ज है। अभी जाय प्रकृत
 फिस्ताने, शाकगाई, भासाटगाई, वैठपात बुड में जाय का नाम बलाराम सिं अर्जुन है।
 अतः श्रीमान् की से निवेदन है कि जाय का नाम बलदेव सिं अर्जुन से बलाराम सिं अर्जुन
 आदि जाय जावे रिपोर्ट श्रीमान् की से जाय कर के भिजवे।

क्रमांक राजस्व / 2020 /

दिनांक 08/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को भेजित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आदेशक का नाम दुरुस्त करने की अधिशंगा की जाती है / नहीं
 की जाती है।

दुरुस्त किया जाय उचित है।

08/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन महायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुधुनूं (राज.)
 आदेश

दिनांक 08/11/21

जायों में खाता दुरुस्ती पाठना पत्र जायों पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)
 उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाय तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल करामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सन्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	खमौरा	2015-78	321	बलदेव सिं अर्जुन	बलाराम सिं अर्जुन

नोट :- जाय प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाये।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 785-86
 प्रविष्टि :-

दिनांक - 8/11/21

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।

2. प्रार्थी / प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी